

उ अ
की
हुए

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 39/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री नथमल जाति ब्राह्मण निवासी हाल
आबाद डी 203 वीणा नगर, एस.बी.रोड, मलाड वेस्ट मुम्बई- पिन
400064 महाराष्ट्र।

—अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

—प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक:-11.07.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरुद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से कोई सूचना नहीं मिली है। अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से पत्र क्रमांक 3162 दिनांक 11.07.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के पत्रांक 3162 दिनांक 11.07.2018 के अनुसार उनके द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि केवल मासिक सारांश उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्र क्रमांक 3124 दिनांक 03.7.2018 की प्रति का अवलोकन करने से उनके द्वारा केवल मासिक सारांश की प्रति लेने हेतु अपीलार्थी को सूचित किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ